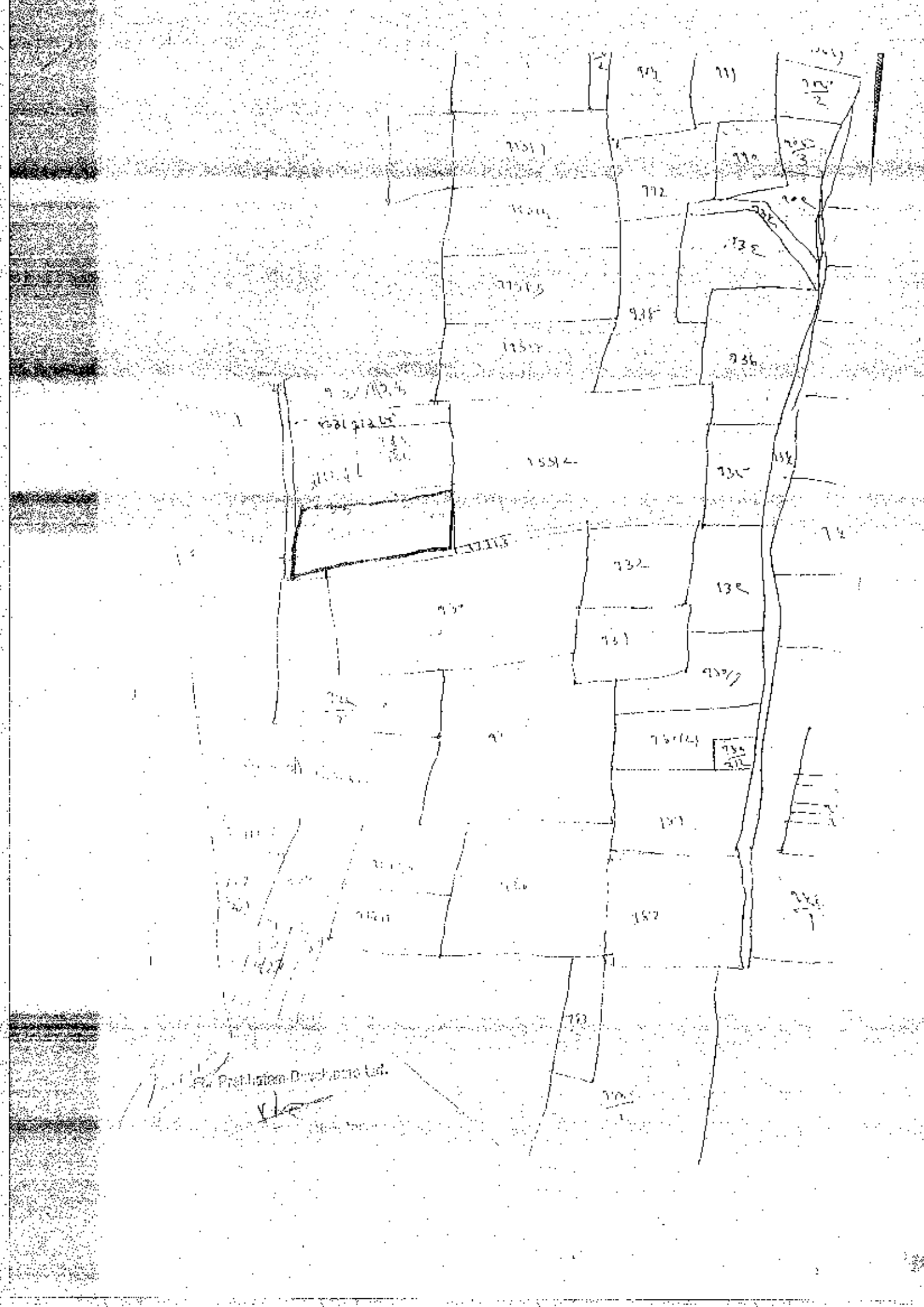

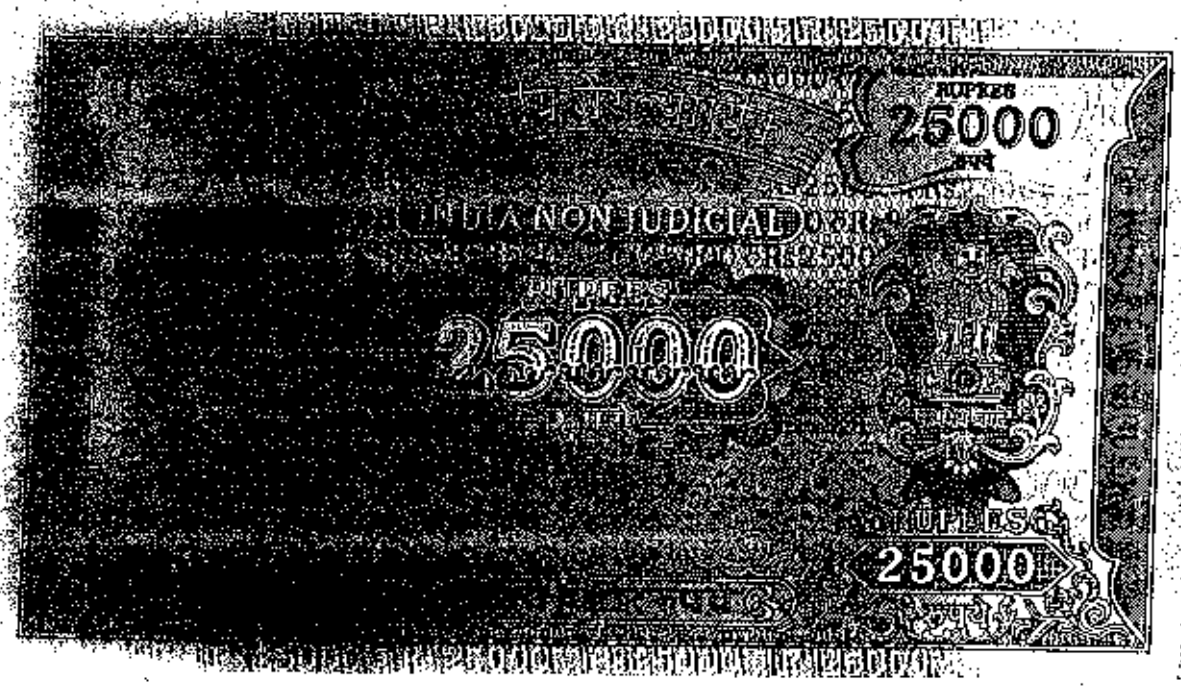

(4) 04DD 350425

	5,85,000.00	(अक्षरी रुपये पांच लाख पैंसठ हजार मात्र) बजर्ये चैक क्रमांक 953706 दिनांक 13.01.2006 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, इंदौर के द्वारा प्राप्त ।
	6,00,000.00	(अक्षरी रूपये छः लाख मात्र) बजर्ये चैक क्रमांक 953707 दिनांक 13.01.2006 आई. सी.आई.सी.आई. बैंक, इंदौर के द्वारा प्राप्त।
कुल रुपये	11,85,000.00	(अक्षरी ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र)

इस प्रकार प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण रकम चैकानुसार प्राप्त हो गई होकर अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से विक्रय प्रतिफल पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं रही है, जिसकी अभिस्वीकृति प्रथमपक्ष इस लेख द्वारा करते हैं । सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय की है ।

३ यह कि, श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री सीतारामजी द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में समस्त प्रकार के कार्य एवं कार्यवाही करने बाबद् मुझ निष्पादक तरुण पिता श्री विट्ठलराव खांडे को पंजीकृत आम मुखत्यार पत्र क्रमांक 1अ/1322 दिनांक 05.12.2005 के द्वारा अपना एकमात्र आम मुखत्यार नियुक्त किया है, उक्त मुखत्यारनामा आज भी प्रभावशील होकर उसकी प्रभावशीलता में इस लेख का निष्पादन किया जा रहा है ।

For Prabhatam Developers
Director

5000Rs.

(5)

यह कि सदर संपत्ति का रिक्त आधिपत्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को मौके पर जाकर सौंप दिया है ।

5. यह कि, प्रथमपक्ष से आशय से स्वयं तथा उनके समस्त उत्तराधिकारी, अनुदेशिती, आदेशिती, असाईनीज आदि सम्मिलित है तथा द्वितीयपक्ष से आशय [illegible] करने वालो से है ।

6. यह कि, सदर संपत्ति के विक्रय पत्र का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष ने वहन किया है ।

7. यह कि, सदर संपत्ति के संबंध में प्रथमपक्ष को आज दिनांक तक जो भी हकक, स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकार आदि प्राप्त थे वे समस्त हक, स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकार आदि इस लेख के जरिये द्वितीयपक्ष में वैष्ठित हो गये है। अब द्वितीयपक्ष सदर संपत्ति का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार वंश परम्परानुसार लेते जावेंगे, इसमें अन्य किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा । फिर भी यदि अन्य किसी ने द्वितीयपक्ष के हक अथवा कब्जे में अन्य किसी ने दखलंदाजी उत्पन्न की तो आपत्तिकर्ता का मन प्रथमपक्ष अपने खर्चे से मनावेंगे तथा द्वितीयपक्ष को नुकसानी नहीं लगने देवेंगे ।

8. यह कि, विक्रयशुदा संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के सिवाय अन्य किसी को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं की है तथा न ही इस पर किसी के कर्ज,

For Prabhat... V. [signature] Director

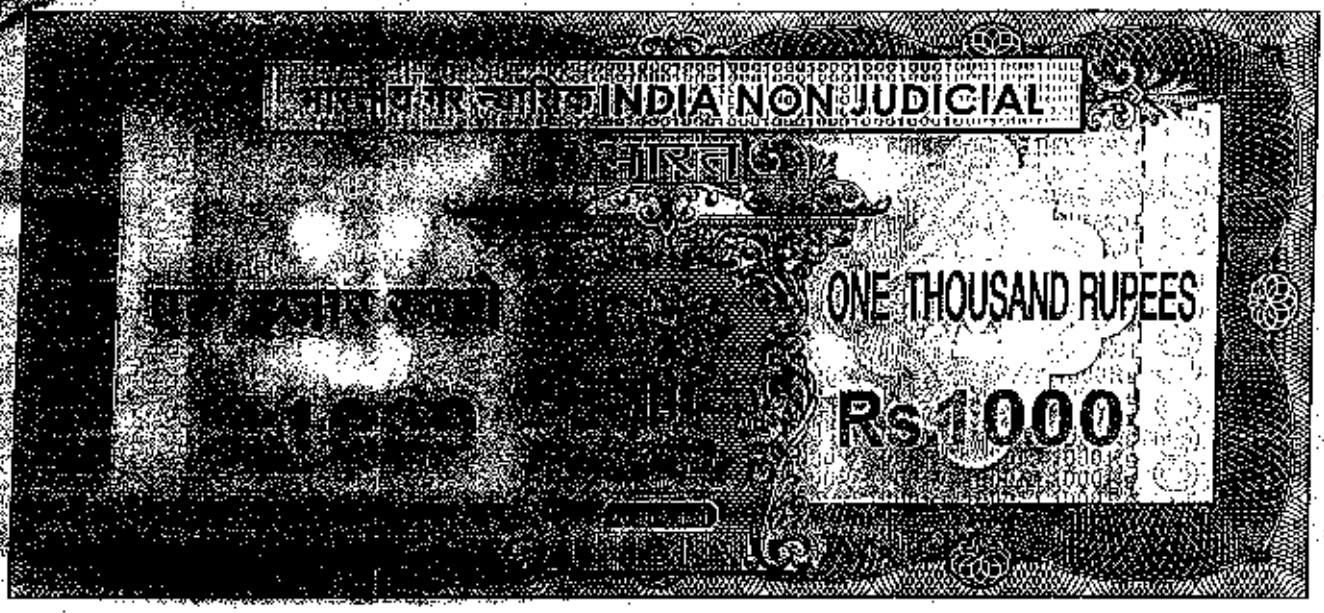

INDIA NON JUDICIAL

भारत

ONE THOUSAND RUPEES

Rs 1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 468860

(6)

[illegible] लोन, अटेचमेंट, डिक्री, वारिसाने आदि का कोई भार है तथा न ही सदर संपत्ति बाबद् कोई प्रकरण विचाराधीन है तथा न ही सदर संपत्ति पर अन्य किसी का अतिक्रमण है तथा न ही सदर संपत्ति में शासकीय, नजूल अथवा पड़ती की भूमि शामिल है । सदर संपत्ति पूर्णतः भाररहित है । फिर भी आज दिनांक के पूर्व का सदर संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भार पाया गया तथा इससे द्वितीयपक्ष को नुकसान हुआ तो उसकी नुकसानी की भरपायी मय हर्जे खर्चे के करने का दायित्व प्रथमपक्ष का रहेगा ।

9. यह कि, सदर संपत्ति के संबंध में आज दिनांक तक के लगने वाले समस्त ड्यूज, टेक्सेस, लगान व अन्य व्यय आदि प्रथमपक्ष वहन करेगें तथा आज दिनांक के पश्चात से सदर संपत्ति के संबंध में लगने वाले समस्त टेक्सेस, लगान व अन्य आदि द्वितीयपक्ष वहन करते जावेगें ।

10. यह कि, प्रथमपक्ष किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, नहीं थे एवं उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का उन्हें किसी भी शासन की नेऑब्जेक्शन अथवा नहीं है और नहीं किसी शासकीय पूर्वानुमति की आवश्यकता है

For Pra[illegible] Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 468861

(5)

11. यह कि, किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा प्रथमपक्ष के स्वत्व संबंधी कोई सूचना पत्र दिया जाता है तो उसका निराकरण प्रथमपक्ष अपने स्वयं के व्यय से करेगें ।

12. यह कि, अब द्वितीयपक्ष इस लेख के जरिये सदर संपत्ति पर अपना नामांतरण समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व स्थानीय विभागों में करवा लेवेगें । इस कार्यवाही में प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को हस्ताक्षर, बयान, उपस्थिति आदि का पूर्ण सहयोग सहर्ष प्रदान करेगें ।

13. यह कि, इस विक्रय से किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होता है ।

14. यह कि, सदर संपत्ति के स्वत्व से संबंधित समस्त दस्तावेजों की फोटो कॉपी प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को सौंप दी है ।

15. यह कि, उक्त विक्रीत भूमि के इस विक्रय व्यवहार से धारा 165(6), 7(क) व 7(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 का तथा मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम 1972 का या उसके किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है ।

For Prabhatam De...

Director

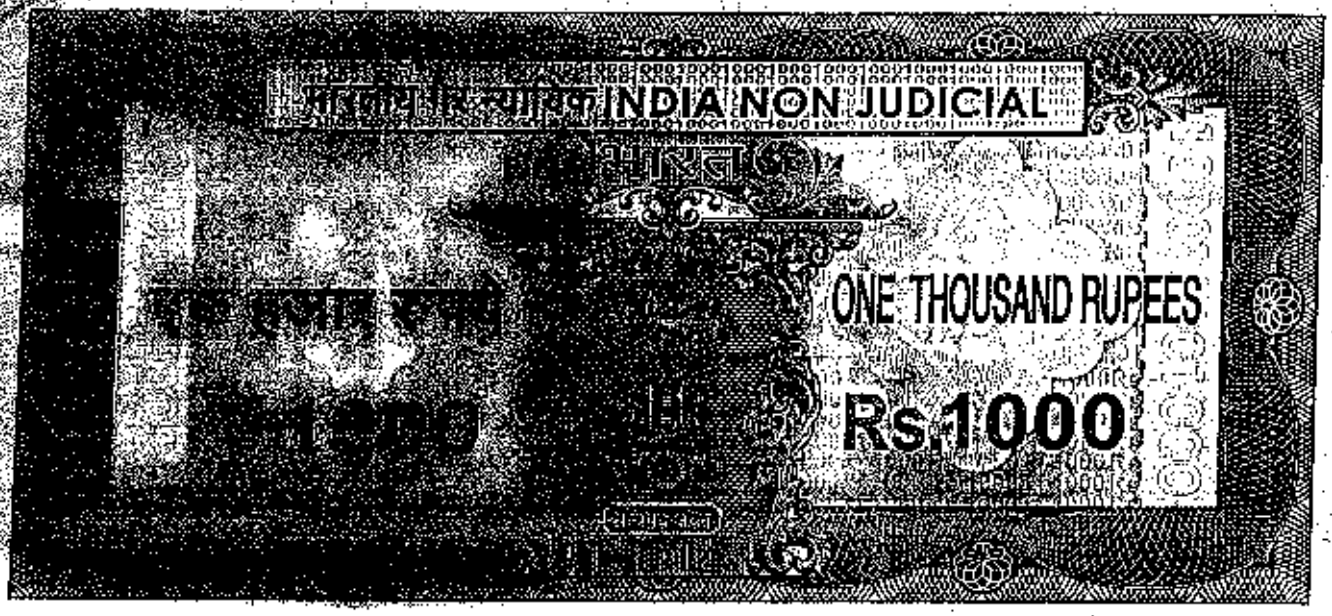

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

ONE THOUSAND RUPEES

Rs 1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 468862

(8)

अतः यह विक्रय लेख प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हित में, अपनी राजी खुशी से, सोचसमझकर, स्वस्थचित्तावस्था में बगैर किसी दबाव के, निम्नलिखित गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिया सो सही ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे । इति ।

दिनांक :

हस्ताक्षर — प्रथमपक्ष(विक्रेता)

साक्षीगण :

1. हस्ता. [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible]

बहैसियत आम मुखत्यार

हस्ताक्षर -- क्रेतापक्ष

2. हस्ता. -- [illegible]

नाम : [illegible]

पता [illegible]

For Prabhatam Developer

V. [illegible]

Director

For Prabhatam ...

V. [illegible]

Director

Prabh... Director

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 468863

॥श्री॥

पूर्वणी स्टाम्प

श्री नंदकिशोर पिता श्री लक्ष्मीनारायण,
निवासी : ग्राम डकाच्या, तहसील सांवेर जिला इंदौर
तर्फे आम मुखत्यार
श्री अरुण पिता श्री विट्ठलराव खाडे,
निवासी : 8 बी, चन्दननगर, इंदौर

..... विक्रेतापक्ष

प्रभातम डेव्हलपर्स लिमिटेड,
राष्ट्रीय टॉवर, प्रथमतल, 36, रानी झांसी रोड,
नई दिल्ली 110055
तर्फे डायरेक्टर श्री विधुर पिता श्री ज्ञानचंद
निवासी : 10, ज्ञान पार्क, टेलीफोन नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

For Prabhatam Developers Ltd.
Director
..... क्रेतापक्ष

For Prabhatam Developers Ltd.
Director

500Rs.

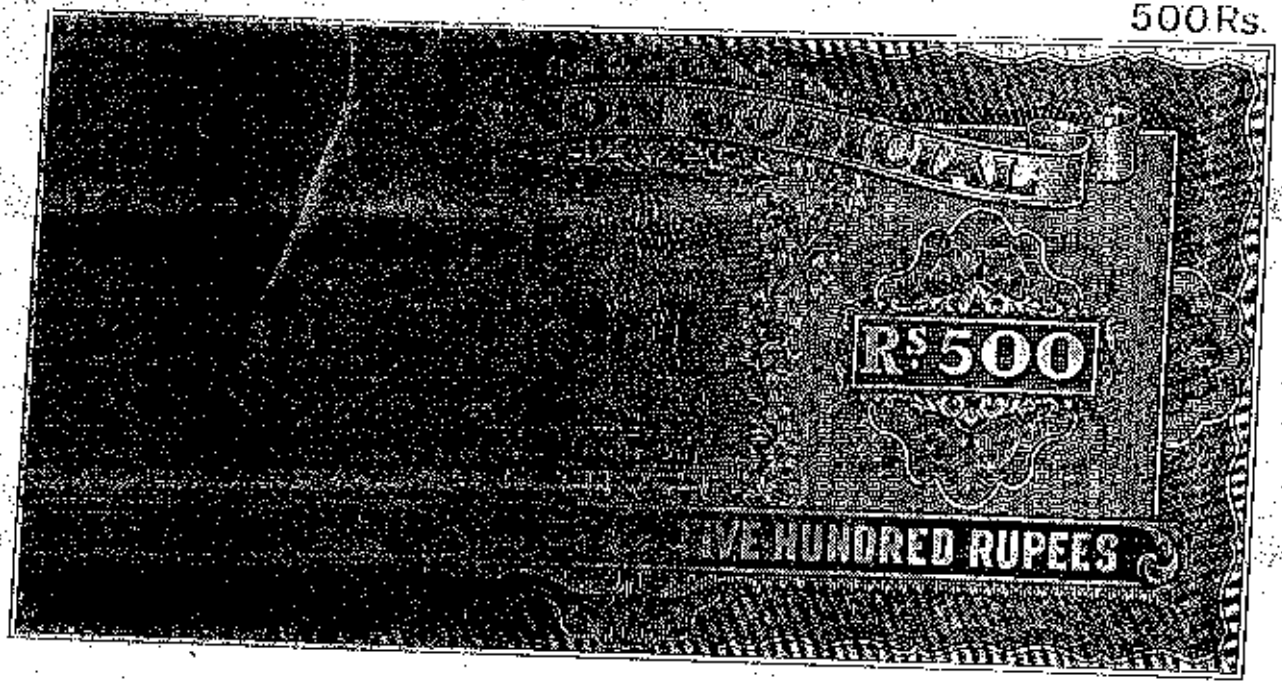

॥श्री॥

पूर्णी स्टाम्प

श्री नंदकिशोर पिता श्री लक्ष्मीनारायण,
निवासी : ग्राम डकाच्या, तहसील सांवेर जिला इंदौर
तर्फे आम मुख्तयार
श्री तरुण पिता श्री विट्ठलराव खाडे,
निवासी - 8-बी, चन्दननगर, इंदौर

..... विक्रेतापक्ष

प्रभातम डेव्लपर्स लिमिटेड,
राष्ट्रीय टॉवर, प्रथमतल, 38, रानी झांसी रोड,
नई दिल्ली - 110055
तर्फे डायरेक्टर श्री विद्युत पिता श्री ज्ञानचंद
निवासी : 10, ज्ञान्स पार्क, टेलीफोन नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

For Prabhatam Developers
Director

..... केतापक्ष

For Prabh...
Director